BHADOHI POLICE

प्रेस विज्ञप्ति

सराहनीय कार्य, जनपद भदोही **दिनांक-25.02.2025**

◆"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित व महिला सम्बंधित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान

◆दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या करने के दोषी 03 अभियुक्तों प्रत्येक को मा0 न्यायालय द्वारा 07 वर्ष कठोर कारावास से किया गया दंडित

◆वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी अभियुक्तों को मिली सजा

दिनांक-31.12.2019 को थाना औराई क्षेत्र अंतर्गत आरोपी ससुरालीजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या करने की घटना के सम्बन्ध में वादी मुकदमा श्री राजाराम यादव निवासी कछवां मिर्जापुर से प्राप्त तहरीर के आधार पर **मु0अ0सं0-281/2019 धारा-498ए, 304बी भा0द0वि0 व 3/4 डी.पी. एक्ट** का अभियोग पंजीकृत किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपीगण के विरुद्ध अल्पसमय में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित व महिला सम्बन्धित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व एडीजीसी, श्री विनय बिंद की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक-25.02.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 भदोही द्वारा दहेज हत्या के दोषी कुल-03 अभियुक्तों- गिरजाशंकर पुत्र सूबेदार यादव, सूबेदार यादव पुत्र झिंगुरी यादव व गुलाबी देवी पत्नी सूबेदार यादव निवासी लीलाधरपुर थाना औराई जनपद भदोही प्रत्येक को अन्तर्गत धारा-304बी, 498ए भा0द0वि0 व 4 डी.पी. **एक्ट 07 वर्ष कठोर कारावास** से दण्डित किया गया।